न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :: 26/2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2017/00355

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी:–

सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

1. विमला देवी पत्नी मेघराज, महाजन, निमाज
2. ओराराम पुत्र जोराराम
3. लाबुराम गोपीचंद पि. जोराराम
4. हापूराम पुत्र भीकाराम, जाति सीरवी, निवासी खिनावडी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:: आदेश ::–

दिनांक : 18-3-21

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 500/2034/9 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण हक में रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जिसे निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया जाने से सभी अप्रार्थीगण को आवाजे लगवाई गई। कोई को भी उपस्थित नहीं हुआ तो सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज I, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 500/2034/9 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के हक में रकबा 10 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार आवंटन पूर्व खसरा नम्बर 500/2034/9 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 2[illegible].69 के तहत किस्म परिवर्तन कर गै.मु. नदी से बा.दो. जरिये नामान्तरकरण संख्या [illegible]2 दिनांक 25.01.19[illegible] को किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत [illegible]सम्बन्धित भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। न ही आराजी की किस्म बदली जा सकती है नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 28.01.1969, 343 दिनांक 14.06.1970, तथा उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1798 दिनांक 25.09.1993 तथा 2384 दिनांक 10.10.2001 सभी निरस्त करवाये जाने है तथा भूमी पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज की जाना न्यायोचित है। उक्त भूमी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने के बावजूद अप्रार्थी के हक में किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया गया जो विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया निरस्त योग्य है। इसके साथ ही आवंटन अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 23.06.69 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण तथा उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है। उन्हें खारिज फरमाया जाकर आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करावे।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नंबर 500/2034 रकबा 256 बीघा 8 बिस्वा भूमी मिसल बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। उसकी किस्म जरिये नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 25.01.1969 के बदली जाकर उक्त आराजी गैर मुमकिन नदी में से 18 बीघा 6 बिस्वा भूमी को बारानी दर्ज कर दिया गया जबकि किस्म बदलने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही है लेकिन उपखण्ड अधिकारी के आदेश से किस्म बदली गई है जो नामान्तरकरण संख्या 232 के 14 वें कॉलम के नोट से स्पष्ट है। भूमी की किस्म गैर मुमकिन नदी से बारानी दर्ज करना विधिविरूद्ध है। उक्त भूमी की किस्म बदलने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 14.07.1970 के अप्रार्थीया विमला के नाम आवंटन कर दी गई तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1798 दिनांक 28.05.1993 के अप्रार्थीया विमला देवी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। यह सभी अंकन भी विधी विरूद्ध किए गए है। तथा जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचाण करने पर विमलादेवी के स्थान पर क्रेता जोराराम पुत्र उमाजी 1/3 लाबू गोपीचन्द पिसरान जोराराम 1/3 एवं हापूराम पुत्र भीकाराम 1/3 कौम सीरवी साकिन खिनवाडी खातेदार दर्ज हुए है। इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त में दर्ज गैर मुमकिन नदी की किस्म बदल कर आवंटन किया गया है जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के विपरीत है तथा उक्त प्रतिबंधित भूमी का आवंटन निरस्त योग्य है तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/188 दिनांक 07.02.2020 के अवगत कराया कि विमला देवी के हक में किए गए आवंटन बाबत [illegible] आदेश तथा किस्म परिवर्तन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है अतः [illegible] विधी विरूद्ध तरीके से गैर मुमकिन नदी में किस्म परिवर्तन कर किए गए आवंटन आदेश तथा उसके अनुसरण में पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 25.01.1969, 343 दिनांक 14.07.1970, 1798 दिनांक 28.05.1993 तथा 2384 दिनांक 10.10.2001 को निरस्त फरमाये जावे क्योंकि उक्त आवंटन एवं किस्म परिवर्तन दोनों ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 16 के तहत प्रतिबंधित गैर मुमकिन नदी की भूमी की किस्म बदल कर विधिविरूद्ध आवंटन किए गए है उक्त किस्म परिवर्तन कर किए गए आवंटन एवं खातेदारी अधिकारों को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु आदेशार्थ सेवामें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:02 IST
Reason: SelfAttested